

कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित:- श्री दीपक कुमार, कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
प्रार्थी :- सर्वश्री प्रकाश चन्द्र दीपक कुमार, लोहा बाजार सहारनपुर ।
प्रा०प०सं०:- 245 /2008
प्रार्थी की ओर से श्री खुर्शेद अहमद, अधिवक्ता व श्री दीपक कुमार, साक्षीदार फर्म ।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

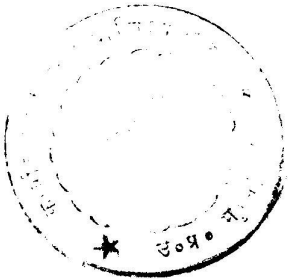
- 1- प्रार्थी के द्वारा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 15-05-2008 को प्रस्तुत किया गया जिसमें **Weighing machine weights of all kinds** पर कर की दर की जानकारी चाही गयी है ।
- 2- धारा-59 के प्रार्थना पत्र की सुनवाई हेतु श्री खुर्शेद अहमद, अधिवक्ता व श्री दीपक कुमार, पार्टनर फर्म उपस्थित हुए व बताया कि **Weighing machine weights of all kinds** शिडयूल-2 पार्ट ए के क्रमोंक 26 पर अंकित प्रविष्टि के अन्तर्गत आते हैं क्योंकि **Weighing machine** को मशीनरी के अन्तर्गत माना गया है। इसमें **weights Weighing machine** के एसेसरीज है । शिडयूल-2 पार्ट ए की प्रविष्टि सं० 26 में मशीनरी व उसके एसेसरीज को सम्मिलित किया गया है अतः **Weighing machine** के **weights of all kinds** पर 4 प्रतिशत की दर से करदेयता होनी चाहिए ।
- 3- मैंने अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों व धारा-59 के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया । सर्वश्री आगरा वेट्स मेजरमेन्ट मैन्यूफैक्चरिंग एसोसियेशन, आगरा (प्रार्थना पत्र सं०-205/2008) के वाद में धारा-59 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 13-06-2008 में **weights** को शिडयूल-5 के अन्तर्गत 12.5 प्रतिशत की दर से करयोग्य माना गया है अतः **weights** पर 12.5 प्रतिशत की दर से करदेयता है ।
- 4- प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है ।
- 5- इस निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को तथा एक प्रति सम्बन्धित कर निर्धारक अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय ।

दिनांक: सितम्बर 18 2008

ह० 18-9-2008

(दीपक कुमार)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ 1



प्रमाणित प्रतिलिपि
वाणिज्य कर मुख्यालय लखनऊ